

**वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का
प्रमाण-पत्र**

परियोजना का नाम : लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के विस्तार के निर्माण हेतु ०.१८८ हे०
सिविल, कुल ०.१८८ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि
पर वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
घट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बलीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, (चमोली)